आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु पूर्व निर्धारित Counseling के विषय में परियोजना निदेशक, आत्मा एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पूछे गये सामान्य प्रश्न एवं उनके उत्तर।

प्रश्न	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल पद के जो अभ्यर्थी अपना प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं कर सके हैं, क्या उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) समाप्त हो जायेगी?
उत्तर	**नहीं**। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारण वश अपना प्रमाण पत्र आदि निर्धारित समय सीमा में अपलोड नहीं कर पाए होंगे उनके प्रमाण-पत्र को Counseling के दौरान अपलोड करने की वैकल्पिक व्यवस्था परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा की जायगी।
प्रश्न	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के अभ्यर्थी के लिये कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी किस प्रकार का प्रमाण-पत्र मान्य होगा?
उत्तर	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के अभ्यर्थी द्वारा केंद्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा निर्गत न्यूनतम 03 माह के कोर्स का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
प्रश्न	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल पद के लिये कोटिवार Draft Merit List में अपर्याप्त उम्मीदवार होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाई क्या होगी?
उत्तर	पदवार, कोटिवार प्रकाशित ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में किसी पद विशेष के विरुद्ध कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में Duly Registered Candidates में से मेधा सूची के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करेगी।
प्रश्न	यदि कोई अभ्यर्थी दो जिलों से अथवा दो अलग नाम से आवेदन किया है तो ऐसी स्थिति में क्या अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा?

उत्तर	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर कोई भी अभ्यर्थी किसी एक जिले से अपना आवेदन दे सकता है परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी ने दो अलग नामों से आवेदन किया है और यह प्रमाणित हो चुका है तो उस स्थिति में विभागीय पत्रांक 807 दिनांक 30-09-2014 की कंडिका 7(iii) के आलोक में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाय। इस हेतु मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंकित नाम को ही सही माना जाये। उससे भिन्न Spelling का प्रयोग करके एक से अधिक जिलों में आवेदन करने के प्रयास को अवैध माना जाये।
प्रश्न	किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना के आधार पर यदि उसे Counseling के लिये बुलाया जाता है और जांच के दौरान उसका मेधा सूची के आधार पर प्राप्त अंक से कम अंक पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अग्रेतर कार्यवाई क्या होगी?
उत्तर	ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के Document में अंकित वास्तविक अंकों को आधार माना जायेगा। स्पष्टत: Counseling के दौरान Document Verification के आधार पर अभ्यर्थियों के कुल स्कोर में परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप उनका मेधा क्रम प्रभावित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाय कि अभ्यर्थी का वास्तविक मेधा क्रम उनकी कोटि के Final List of Shortlisted Candidates में सम्मिलित सबसे कम मेधा क्रम वाले उम्मीदवार से कम न हो। Final List of Shortlisted Candidates में शामिल अभ्यर्थियों के मेधा अंक से भी यदि अभ्यर्थी का मेधा अंक कम होगा तो उसे तदनुसार Draft Merit List से बाहर यथा स्थान मान लिया जायेगा।
प्रश्न	क्या बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा?
उत्तर	**नहीं।** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय-समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में भी लागू होंगे।
प्रश्न	क्या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल के पदों की Final Merit List के प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थी को दावा/आपत्ति का मौका दिया जायेगा? यदि हां, तो कितने दिनों के अंदर।
उत्तर	**हां।** प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल के पदों की Final Merit List के प्रकाशन के उपरांत चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों का "प्रारूप चयन सूची" का प्रकाशन किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी को 10-17 नवबंर, 2014 के बीच दावा/आपत्ति करने का मौका दिया जायेगा।

प्रश्न	क्या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद हेतु गैर-सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी नियोजन के योग्य होंगे?
उत्तर	**नहीं।** प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिये प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित कृषि एवं उससे संबंधित विषय में स्नातक डिग्री सहित "बिहार सरकार, कृषि विभाग/भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा संपोषित योजनाओं में कार्यालय प्रधान द्वारा जारी न्यूनतम ०२ वर्ष का अनुभव" रखने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके अभ्यर्थी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पर संविदा आधारित नियोजन के पात्र होंगे।
प्रश्न	कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र में स्नातक डिग्री प्रदान करने वाले वैध संस्थान का विवरण कहां प्राप्त होगा?
उत्तर	कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र में स्नातक डिग्री प्रदान करने वाले वैध संस्थान का विवरण बामेती के वेबसाइट www.bameti.org पर देखा जा सकता है। उक्त विवरण सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया गया है।

31/4